न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाडमेर

प्रार्थी	विप्रार्थीगण
1.देराजराम पुत्र हुकमाराम, जाति मेघवाल, निवासी मेहरानगढ तहसील चौहटन, जिला बाडमेंर	1.हुकमाराम पुत्र जोधाराम 2.रूगाराम 3.मानाराम पि. हुकमाराम 4.चूनी पत्नि हुकमाराम 5.सारी पत्नि सगताराम 6.मूलाराम 7.महेशाराम 8. नाजाराम पि. चेनाराम, जाति मेघवाल, निवासी मेहरानगढ तहसील चौहटन, जिला बाडमेर 9.शाखा प्रबन्धक, एसबीआई शाखा,चौहटन 10.तहसीलदार/उपपंजीयक चौहटन

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.न 38/2020

13-07-2020 प्राथी के वकील श्री फताराम ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता की बहस एवं सलंग्न दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के हक में कयास होता है, अतः जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा विप्रार्थीगण सं. 1 को आगामी पेशी तारीख तक इस कदर पाबन्द किया जाता है कि तहसील चौहटन के मौजा मेहरानगढ के खसरा सं. 556 रकबा 37.15 बीघा भूमि पर मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस दिवस 7 में रजि.एड़ी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जावे। स्थगन अहकॉम तहसीलदार चौहटन को जारी हो। तलबी अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर एडी. नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 14.08.2020 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

05/08/2020 पत्रावली आज वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तलब की गई। चूंकि मूल वाद विड्रो किया जा चुका है। अतः आवेदन में आगे की कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं रहा। अतः आवेदन में आगे की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जावे। आवेदन विड्रो किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से कम हो।

प्रा. देराजराम

पहचानकर्ता
फता राम एडवोकेट
प्रार्थी

सहायक कलक्टर
चौहटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramjas Bishnoi
Date: 2020.08.10 16:32:03 IST
Reason: SelfAttested